

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3460/11-सी- FP/UP/Pipeline/115827/2020, लखनऊ, दिनांक: मई 19, 2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-एटा के अन्तर्गत फिरोजाबाद-एटा मार्ग एस०एच०-31 चैनेज 22.000 से 57.160 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 1.9338 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 246 पौधों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/115827/2020)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०९/302/2022/एफ०सी०/299, दिनांक-16.08.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-2757/14-1 दिनांक 15.05.2026 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है। ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रेषित गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को ऑनलाईन प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3460/11-सी- FP/UP/Pipeline/115827/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, एटा।
- 3- प्रबन्धक, परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लि०, एस०ए०-72/79 प्रथम तल, डी०डी० पुरम, बरेली-243122

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 757/14-1 (115827/2020) अलीगढ़, दिनांक, मई: 15, 2026.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-एटा के अन्तर्गत फिरोजाबाद-एटा मार्ग एस0एच0-31 चैनेज 22.000 से 57.160 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 1.9338 हे0 संरक्षित वन भूमि व उस पर खड़े 247 पौधों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।
(ऑन-लाईन प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/पाईप लाइन/115827/2020)

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यूपी0/09/302/2022/एफ.सी./299 दिनांक 16.08.2023.
- 2- आपका पत्रांक-1सी- 513/FP/UP/Pipeline/115827/2020 दिनांक 25.08.2023.
- 2- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा का पत्रांक-2836/FP/UP/Pipeline/115827/2020 दिनांक 27.04.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के सन्दर्भित पत्र से निम्नवत इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

क्र0सं0	Condditions	State of Complaiance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation in an area 3.8676 ha. Degraded forest land in compartment No. 4 & 9 Sheetalpur Forest Block Class 4 & 9 Etah Jalesar Aliganj Range. District-Etah at the cost of the user agency. As far as passible, a mixture of local indogenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
3	The Cose of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriated cost increase for works scheduled for susequesnt years.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 28,86,973.16 (रुपये अट्ठाईस लाख छियासी हजार नौ सौ तेहत्तर रु0 मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर Online Payment Details की प्रति प्रेषित है।
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.9338 ha. forest area to be diverted under this proposal from ther User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2023, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by Ministry vide letters No-5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No-5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेषित शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रु0 18,52,155 (रु0 अट्ठारह लाख बावन हजार एक सौ पचपन मात्र) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमा कर चालान व Online Payment Details की प्रति प्रेषित है।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall be charged by the State	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

	Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
6	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
7	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, एटा द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
8	The pipe line shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
9	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986 if applicable.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
10	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
11	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
12	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the Use agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user Agency or the project life, whichever is less.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
16	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
17	The forest land proposal to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt of India.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
18	Revised Geo referenced map of the area proposed for diversion shall be uploaded on Parivesh Portal.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
19	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
20	The Kml file of the area to be diverted the CA areas the proposed SMC works the proposed catchment area treatment area and WLMP area shall be uploaded on the E-green watch portal with all required details before commencement of work.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
21	Any order of temporary work permission in case liner projects for Tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA guidelines shall be passed under intimation of Nodal Office and this office. Order of temporary work permission have to be uploaded on Parivesh Portal as well. Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

	after expiry of one year from the date of issue of such permission.	
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action taken as MOEF & CC guiedlines F.No-11-42/2017-FCdated 29/01/2018.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
23	Any other condition that the Ministry of Environment Foest & Climate Change may stipulated from time to time in the interest of conservation protection and development of Forest & Wildlife	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
24	All the funds recieved from user agency under the project shall be transferred/Deposited to Campa fund only through e-portal.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

अतः प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(श्रद्धा यादव)
वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक परियोजना एस0ए0-72/79 प्रथम तल, डी0डी0 पुरम, बरेली-243122 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(श्रद्धा यादव)
वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

